112/2021/I/100066/2021-71-2099/256/2021

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2021

विषयः-एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ में नर्सो हेतु टाइप-3 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-106/2018/362/2021, दिनांक 02-09-2021 एवं पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-106/2018/361/2021, दिनांक 02-09-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्रमशः एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ में नर्सो हेतु टाइप-3 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत लागत रू0 2892.33 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 के मद में व्यय की गयी धनराशि रू0 1,49,42,961.00 अवमुक्त करने तथा धनराशि रू0 2892.33 लाख के सापेक्ष 05 प्रतिशत की धनराशि को रोकते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-51/2019/07/71-2-2019-37/2018, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 द्वारा नर्सो हेतु टाइप-3 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु आंकलित लागत रू0 2892.33 लाख + जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। प्रायोजना के अंतर्गत विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक रू0 2169.24 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ में नर्सो हेतु टाइप-3 (80 नग) (जी+10) आवासों के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि के समायोजन हेतु रू0 1,49,42,961.00 (रू0 एक करोड उन्चास लाख बयालिस हजार नौ सौ इकसठ मात्र) तथा परियोजना की आंकलित लागत रू0 2892.33 लाख के सापेक्ष अवशेष चतुर्थ किश्त की धनराशि रू0 578.47 लाख (रूपये पॉच करोड अठहत्तर लाख सैतालिस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1) वित्त अधिकारी, संस्थान द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि के आंकलन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
2) निदेशक/वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।
3) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण कार्य के तहत कोई अन्य कर का भुगतान नहीं किया गया है।
4) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
5) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्यो हेतु व्यय वित्तीय अनिमितता मानी जायेगी।
6) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7) वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निर्माण कार्यो के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22, मार्च 2021 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।

8) शासनादेश संख्या-51/2019/07/71-2-2019-37/2018, दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03- संजय गांधी स्नात्कोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22,मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. महाप्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक,सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।